

अनुसूचि 14 फार्म सं०-162

न्यायालय अन्तर्गत अनुमंडल पदाधिकारी, राजमहल

बरनवास हेम्रम उर्फ भुजु हेम्रम
बनाम

16 आना रैयत

मौजा-फतेहपुर, न०-30

आदेश-फलक

देखें अभिलेख हस्तक, 1941 का नियम 129

आदेश पत्रक तारीख..... जिला-साहेबगंज

केस के प्रकार-धारा - प्रधान बहाली वाद संख्या 35/2010-20

आदेशकी क्रम सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की कार्यवाई के बारे टिप्पणी और तारीख सहित
1	2	3
35/2019	<p>अंचल अधिकारी, तालझारी के पत्रांक 493/रा० दिनांक 24.07.2019 के द्वारा मौजा- फतेहपुर, न०-30 के रिक्त ग्राम प्रधान के पद पर प्रधान बहाली हेतु जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। मौजा के 16 आना रैयतों से अनापत्ति आमंत्रित हेतु विधिवत् नोटिस निर्गत किया गया।</p> <p>अवलोकन किया। जाँच प्रतिवेदन के साथ मौजा- फतेहपुर, न०-30 में दिनांक 18.07.2019 को श्री जोसेफ हेम्रम, मुखिया, ग्रामपंचायत-मसकलैया के अध्यक्षता में मौजा के 16 आना रैयतों के उपस्थिति में प्रधान बहाली से संबंधित ग्राम सभा की गई। जिसकी प्रति संलग्न। ग्राम सभा में उपस्थित सभी ग्रामीणों ने सर्वसम्मति से श्री बरनवास हेम्रम उर्फ भुजु हेम्रम, पिता-स्व० सालो हेम्रम, ग्राम-फतेहपुर को मौजा- फतेहपुर, न०-30 में प्रधान के रूप में चाहते हैं तथा प्रधान बहाल होने का प्रस्ताव रखा।</p> <p>अंचल अधिकारी, तालझारी ने अपने प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया है कि मौजा- फतेहपुर, न०-30 एक प्रधानी मौजा है। जिसके पूर्व प्रधान भुजु हेम्रम थे जिनकी मृत्यु हो गयी है। मौजा के ग्राम प्रधान नियुक्ति हेतु एक ग्राम सभा का आयोजन किया गया, जिसमें श्री बरनवास हेम्रम उर्फ भुजु हेम्रम, पिता-सालो हेम्रम, ग्राम-फतेहपुर, थाना-तालझारी, जिला-साहेबगंज को प्रधान के रूप में चयन किया गया है।</p> <p>श्री बरनवास हेम्रम उर्फ भुजु हेम्रम पूर्व प्रधान भुजु हेम्रम के पोता है। पूर्व से ही ग्राम में होने वाले किसी भी सार्वजनिक जन हित कार्यों में बड़-चड़ कर हिस्सा लेकर सम्पादन करते हैं। अतएव श्री बरनवास हेम्रम उर्फ भुजु हेम्रम प्रधान बनने योग्य व्यक्ति है।</p> <p>अतएव अंचल अधिकारी, तालझारी के जाँच प्रतिवेदन एवं मौजा के 16 आना रैयतों के आपत्ति के अभाव में आवेदक श्री बरनवास हेम्रम उर्फ भुजु हेम्रम को मौजा- फतेहपुर, थाना न०-30 में सथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 06 के अन्तर्गत प्रधान के पद पर नियुक्त किया जाता है। कबुलियत दाखिल करें। तत्पश्चात पट्टा निर्गत किया जायेगा।</p> <p>आदेश की प्रति अंचल अधिकारी, तालझारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु भेजें। लेखापित एवं संशोधित।</p>	

अनुमंडल पदाधिकारी
राजमहल।

अनुमंडल पदाधिकारी,
राजमहल।